



2026:AHC: 174151

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 1097 वर्ष 2026

कुमारी मानुषी बघेल (अवयस्क) और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संगीता शुक्ला, सुशील कुमार चतुर्वेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

आज दाखिल किए गए प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 के पूरक शपथपत्र और व्यक्तिगत शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

आदेश दिनांक 04.08.2026 के माध्यम से, राज्य को बंदी (कार्पस), कुमारी मानुषी बघेल को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इसके अनुपालन में, थाना मलपुरा, जिला आगरा के उप-निरीक्षक श्री अनुज कुमार और उप-निरीक्षक श्री श्याम नारायण त्रिपाठी द्वारा बंदी (कार्पस) को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह न्यायालय बंदी (कार्पस) के साथ सार्थक बातचीत नहीं कर सका क्योंकि उसकी आयु केवल लगभग तीन वर्ष है। फिर भी, उसके हाव-भाव से, यह स्पष्ट था कि वह याचिकाकर्ता, सुरेंद्र सिंह, जो उसके पिता हैं, की गोद में पूरी तरह से सहज थी और उनके साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन साझा करती थी।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, सुरेंद्र सिंह से भी बातचीत की, जिसने खुलासा किया कि वह वायु सेना में कार्यरत है और लगभग 1,00,000/- रुपये प्रति माह कमा रहा है। जुलाई, 2026 के महीने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के लिए उसकी वेतन पर्ची भी उसके शपथपत्र के साथ संलग्न की गई है। अभिलेख पर रखी गई सामग्री से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता आर्थिक रूप से अवयस्क बंदी (कार्पस) का भरण-पोषण करने और पर्याप्त रूप से देखभाल करने में सक्षम है।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उसने गुड़िया के साथ दूसरा विवाह किया है, और उक्त विवाह से एक पुत्र का भी जन्म हुआ है। उसने न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह बंदी (कार्पस) की उचित देखभाल करेगा, उसे एक प्रतिष्ठित स्कूल में अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा और उसके उचित पालन-पोषण और विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगा ताकि वह देश की एक जिम्मेदार नागरिक बन सके।

इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 से भी बातचीत किया, जो बंदी (कार्पस) के नाना-नानी और मामा हैं। उन्होंने इस आधार पर बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा का दावा किया कि, उसकी माता की मृत्यु के पश्चात, वे बचपन से ही उसकी देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने आगे अभिकथन किया कि याचिकाकर्ता ने आज तक बंदी (कार्पस) की उचित देखभाल नहीं किया था और प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका केवल प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्ता के कमांडिंग ऑफिसर को बंदी (कार्पस) के लिए भरण-पोषण की मांग करते हुए एक पत्र संबोधित करने के पश्चात दाखिल की गई है, ताकि ऐसे भरण-पोषण का भुगतान करने के दायित्व से बचा जा सके।

निजी प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा उनके पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि वे बचपन से ही उसकी देखभाल कर रहे हैं। हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 6 ने स्वीकार किया कि उसके स्वयं के दो बच्चे हैं, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 ने स्वीकार किया कि उनके पांच बच्चे हैं जिनकी देखभाल उन्हें करनी है।

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, पक्षकारों के साथ बातचीत और, विशेष रूप से, इस न्यायालय के समक्ष बंदी (कार्पस) के हाव-भाव पर विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता आर्थिक रूप से अवयस्क बंदी (कार्पस) का भरण-पोषण करने में सक्षम है और उसे उसकी अभिरक्षा लेने में कोई विधिक बाधा नहीं है। बंदी (कार्पस) को भी याचिकाकर्ता के साथ सहज और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ पाया गया, जो उसका नैसर्गिक पिता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह सुस्थापित है कि, किसी अवयस्क की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में, सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित है, न कि केवल किसी विशेष दावेदार का विधिक अधिकार। मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें बंदी (कार्पस) की आयु, याचिकाकर्ता के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव, उसकी वित्तीय क्षमता और उसके पालन-पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी लेने की उसकी इच्छा शामिल है, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि बंदी (कार्पस) का कल्याण उसके पिता, याचिकाकर्ता, सुरेंद्र सिंह को उसकी अभिरक्षा सौंपने से सर्वोत्तम रूप से पूरा होगा।

तदनुसार, अवयस्क बंदी (कार्पस), कुमारी मानुषी बघेल की अभिरक्षा उसके पिता, याचिकाकर्ता, सुरेंद्र सिंह को सौंपी जाती है।

इसके साथ ही, यह न्यायालय उस भावनात्मक बंधन के प्रति सचेत है जो बंदी (कार्पस) का उसके नाना-नानी और मामा के साथ है, जो स्वीकार्य रूप से बचपन से ही उसकी देखभाल कर रहे हैं। ऐसे रिश्ते को संरक्षित और पोषित करने के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 को मुलाकात का अधिकार होगा। वे बंदी (कार्पस) से मिलने और बातचीत करने के प्रयोजन से, पूर्व सूचना के साथ, किसी भी उचित समय पर याचिकाकर्ता, सुरेंद्र सिंह के निवास पर जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। वे प्रतिदिन शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने के हकदार होंगे।

याचिकाकर्ता इस तरह की मुलाकात और वीडियो बातचीत को सुविधाजनक बनाने में सभी उचित सहयोग प्रदान करेगा और उसमें कोई अनावश्यक बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। इसी प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 रिश्ते की गरिमा बनाए रखेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अवयस्क बंदी (कार्पस) की भावनात्मक भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

पूर्वोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

18 अगस्त, 2026

हिमांशु

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”